न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

निगरानी संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
13/77/12	13–08–2012	30–05–2018

01– विक्रमसिंह रतनावत पुत्र श्री महावीर सिंह जाति राजपूत निवासी किशनगढबास पंचायत समिति किशनगढबास जिला अलवर राज0

निगरानीकार

बनाम

01. करतार सिंह पुत्र कैलाश सिंह कौम सिख निवासी किशनगढबास तहसील किशनगढबास जिला अलवर
02. ग्राम पंचायत किशनगढबास जरिये सरपंच ग्रम पंचायत किशनगढबास तहसील किशनगढबास अलवर राज0

अनिगरानीकार

निगरानी विरूद्ध आज्ञा ग्राम पंचायत किशनगढबास आदेश कमांक 49 दिनांक 22.12.2004 एवं पंचायत समिति किशनगढबास का आदेश दिनांक 18.07.2012

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (II) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) ALWAR (RAJ.)

उपस्थित:–

01.श्री संजीव जैनर (राज0) –वकील निगरानीकार

02 श्री जनार्दन शर्मा –वकील अनिगरानीकार

—:: **निर्णय** ::—

निगरानीकार ने यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत किशनगढबास के आदेश कमांक 49 दिनांक 22.12.2004 एवं पंचायत समिति किशनगढबास का आदेश दिनांक 18.07.2012 से व्यथित होकर पेश की है।

निगरानी प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अनिगरानीकार को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील निगरानीकार ने अपनी बहस में निगरानी प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पंचायत में गलत तरिके व खिलाफ कानून दिनांक 22.12.2004 को अनगरानीकार नम्बर 01 के हक में विवादित भूखण्ड का पट्टा जारी करने के आदेश पारित करते हुए अनिगरानीकार को 100 रू पट्टा फीस जमा कराये जाने की जो आज्ञा पारित की वह विधि विरूद्व है निगरानीकार के बुर्जुगान किश्नगढबास तब से आबाद हुआ है और किलेदारी व जागीरदारी निगरानीकार के बुर्जुगान को प्राप्त हुई किले की नीचे की भूमि में मिन अपीलान्ट ने अपने मकान व ग्वाडे बनाये हुए है। निगरानीकार का कब्जा विवादित जायदाद पर काफी पुराना है बुर्जुगान की पुश्तैनी जायदाद का उपयोग व उपभोग निगरानीकार करता चला आ रहा है। निगरानीकार के मकान के तरफ दक्षिण को लगती हुई ग्वाडा जो प्लाट की सकल में है पैमाइश पूर्व से पश्चिम उत्तर को 45 फुट, पश्चिम दक्षिण को 25 फुट, दक्षिण पूर्व को 50 फुट और उत्तर दक्षिण को 30 फुट निगरानीकार के मकान का दरवाजा दक्षिण दिशा में उक्त प्लाट पर खुलता है तथा मकान की मौरियां भी विवादित प्लाट में जारी

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

है। तरफ पूर्व को रास्ता सरकारी तरफ पश्चिम में किले की दिवार तरफ उत्तर मकान निगरानीकार तरफ दक्षिण पूर्व पडत भूमि निगरानीकार तथा दक्षिण सिरे पूर्व पडत भूमि मौजूद है विवादित भूखण्ड मिन निगरानीकार का बुर्जुगानी ग्वाडा प्लाट है जिसमें बुर्जुगान समय से पशुधन बाधंते है एवं शादी ब्याह मे उठने बैठने आदी के काम आता है। निगरानीकार के पिता उक्त भूखण्ड को निमार्ण हेतु पत्थर डाल रखे है। उक्त प्लाट ग्राम पंचायत किशनगढबास की भूमि नही है ना ही ग्राम पंचायत किशनगढबास के रजिस्टर में इसका इन्द्राज है। उक्त भूखण्ड नये अधिनियम की धारा 136 के तहत ग्राम पंचायत की सम्पत्ती नही है ना ही धारा 137 के तहत ग्राम पंचायत की स्थावर सम्पत्ती दर्ज है ना ही ग्राम पंचायत के अनुरक्षण में है। निगरानीकार के बुर्जुगान करीब 300 साल से उक्त भूखण्ड ग्वाडा का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। निगारानीकार का तत्कालीन सरपंच किशनगढबास राजनैतिक रूप से द्वैषता रखता है। विवादित प्लाट जिस वार्ड में है उस वार्ड के पंच की रिपोर्ट लिए बिना अन्य वार्डो के पंचो के हस्ताक्षर करवाकर गैरनिगरानीकार को लाभ पहुचाने की नियत से निगरानीकार के प्लाट के संबंध में मौका खिलाफ व विधि विरूद्व तरीके से पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत निगरानीकार को बिना सुने इकतरफा आज्ञा कर पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत की मौका रिपोर्ट व आवेदन पत्र से साफ जाहिर है की ग्रम पंचायत द्वारा अनिगरानीकार को लाभ पहुचाने की गरज से कार्यवाही की गई है। जबकी अनिगरानीकार 01 ने निगरानीकार के पत्थरो को 20 साल से डालना लिखा है जबकी ग्राम पंचायत बिना किसी आधार के अनिगरानीकार का 25 साल से कब्जा होना दर्शा रही है। अनिगरानीकार संख्या 01 ना तो भूमिहीन व्यक्ति है ना ही कमजोर व्यक्ति है। गैरनिगरानीकार संख्या 01 के पिता तहसील किश्नगढबास के रिटायर कर्मचारी है। विकास अधिकारी द्वारा ना तो अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली को मंगवाया ना उसका अवलोकन किया तथा गलत तरिके से अनिगरानीकार संख्या 01 को लाभ पहुंचाने की नियत से अपील खारिज कर दी गई। अतः निगरानीकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत किशनगढबास के आदेश क्रमांक 49 दिनांक 22.12.2004 व विकास अधिकारी पंचायत समिति किशनगढबास के आदेश दिनांक 18.07.2012 निरस्त किये जाये।

विद्वान वकील अनिगरानीकार अपील में वर्णित बिन्दुओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत् तरीके से मौका रिपोर्ट व अनापत्ति तलब कर उक्त भू–खण्ड को बेचने की कॉरम द्वारा स्वीकृति प्रदान करने पर पट्टा जारी किया गया है, जिसके लिए अनीगरानीकार रू0 5300/– फीस जमा करायी गयी है। ग्राम पंचायत द्वारा उज्रदारी नोटिस पर कोई आपत्ति नहीं आने पर तथा दुसरा कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं होने के कारण विधिवत् तरीके से उक्त भू–खण्ड मुझे बेचा गया है तथा पट्टा दिया गया है। अतः निगरानीकार की निगरानी खारिज फरमायी जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। प्रत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 22.12.2004 को पट्टा पत्रावली कोरम के समक्ष सभी विधिक प्रकिया पूर्ण कर दूसरा कोई आवेदन प्रस्तुत नही होने पर रैस्पॉडेन्ट को विवादित भूखण्ड का बेचान किय गया तथा पट्टा जारी किया गया। अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया जिससे यह सिद्व हो सके की उक्त भूखण्ड पर अपीलान्ट का कब्जा या

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज.)

अधिकार था। जबकि मौका रिपोर्ट दिनांक 21.11.2004 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विवादित भूखण्ड पर रैस्पॉडेन्ट का कब्जा था। (12)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम ग्राम पंचायत किशनगढबास के आदेश क्रमांक 49 दिनांक 22.12.2004 व पंचायत समिति किशगढबास के आदेश दिनांक 18.07.2012 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है। अतः निगरानीकार की निगरानी अस्वीकार की जाती है। निर्णय प्रति अधिनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 30–05–2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम) अलवर –राज0

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)